न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 162/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/205

दायर दिनांक :– 02.09.2022 निर्णय दिनांक :– 26.08.2025

1. भैराराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुभागाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. छोटी पत्नी सुभागाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. किसनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. मगनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआईसी बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 365 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 5.2123 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से सुंबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 365 रकबा 7.2843 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 5.2123 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन

26/8/25

प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 365 रकबा 7.2843 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	भैराराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	1.3658 हैक्टेयर	बी–3
2	सुभागाराम पुत्र मंगलाराम 2/3, छोटी पत्नी सुभागाराम 1/3 हिस्सा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	3.6422 हैक्टेयर	बी–3
3	मगनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	2.2763 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भैराराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुभागाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. छोटी पत्नी सुभागाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. किसनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. मगनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआईसी बैक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या 162/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर **365** रकबा **7.2843** हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	भैराराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	1.3658 हैक्टेयर	बी—3
2	सुभागाराम पुत्र मंगलाराम 2/3, छोटी पत्नी सुभागाराम 1/3 हिस्सा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	3.6422 हैक्टेयर	बी—3
3	मगनाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	जम्भशक्तिनगर	365	2.2763 हैक्टेयर	बी—3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.08.2025 को जारी की गई।

26/8/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।